

—::—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन—::—

प्रधान कार्यालय, N-3 अवंति बिहार मेन रोड रायपुर

क्रमांक/छगवेका/निर्माण/12-13/12541

रायपुर, दिनांक 06.12.2012

अल्प अवधि निविदा आमंत्रण सूचना

छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा विभिन्न शाखाओं पर मरम्मत इत्यादि कार्यो हेतु छ0ग0षासन लोक निर्माण विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र "ए" में छ0ग0षासन लोक निर्माण विभाग में भवन कार्य के लिए दिनांक 01.06.2009 एवं रोड़ कार्य के लिए 01.04.09 से प्रभावशील दर सूची से प्रतिषत दर पर मुहरबंद निविदायें मात्र पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है।

क्रं0	शाखा नाम (गोदाम मरम्मत)	अनु0राषि	अमानती राषि	निर्धारित समयावधि
1	राजनांदगाँव गंज चौक स्थित गोदाम परिसर में बाऊण्ड्रीवाल कार्य	0.83 लाख	1300.00	60 दिवस
2	अकलतरा (II) में एप्रोच रोड हेतु ड्रेन निर्माण कार्य	6.23 लाख	9400.00	60 दिवस
3	जषपुर नगर में पी.सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	10.77 लाख	16200.00	60 दिवस
4	मुंगेली में बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	10.88 लाख	16400.00	60 दिवस
5	राजिम 2160 मे0टन गोदाम परिसर में बाऊण्ड्रीवाल कार्य	11.67 लाख	17500.00	60 दिवस
6	अभनपुर में कांक्रीट रोड़ निर्माण कार्य	11.66 लाख	17500.00	60 दिवस
7	गीदम में 1000 मे0टन गोदाम परिसर का लीकेज मरम्मत	8.47 लाख	12800.00	60 दिवस
8	मर्दापाल में 800 मे0टन गोदाम परिसर में बाऊण्ड्रीवाल एवं गोदाम मरम्मत कार्य	11.23 लाख	16900.00	60 दिवस
9	भैरमगढ़ 1000 मे0टन गोदाम में मेनगेट एवं बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	10.93 लाख	16400.00	60 दिवस
10	भैरमगढ़ 1000 मे0टन गोदाम में प्रबंधक निवास एवं चौकीदार निर्माण कार्य	14.37 लाख	21600.00	90 दिवस
11	शाखा जगदलपुर परिसर में बाऊण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं निर्माण कार्य	12.60 लाख	18900.00	60 दिवस

निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये — 1000.00 प्रत्येक कार्य हेतु।

निविदा प्रपत्र जारी की अंतिम तिथि — 20.12.12 अपरान्ह 04.00 बजे तक।

निविदा प्राप्ति की तिथि — 26.12.12 अपरान्ह 05.00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि — 29.12.12 अपरान्ह 3.00 बजे तक।

शर्त :-

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वैद्य पंजीकरण, पेन नंबर एवं वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों की मूल प्रति अवलोकनार्थ एवं एक छायाप्रति संलग्न की जावे।
2. समस्त निविदायें मात्र पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किये जायेंगे अन्य माध्यमों से प्रस्तुत निविदायें स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित अवधि के प्राप्त निविदायें अमान्य किये जायेंगे।
3. सषर्त निविदा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
4. निविदा प्रपत्र, दो लिफाफों में प्रस्तुत की जावे। एक लिफाफे में "निविदा प्रपत्र" तथा दूसरे लिफाफे में "अमानती राशि" डिमांड ड्रफ्ट/एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा की जावे जो प्रबंध संचालक छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नाम से देय हो एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई हो। दोनों लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में भरकर उसके उपर कार्य का नाम एवं अमानती राशि का विवरण लिखा जायें।
5. प्राप्त निविदायें उपस्थित ठेकेदारों के या उनके प्रतिनिधी जो भी उपस्थित हो उनके समक्ष निर्धारित तिथि को खोली जावेगी। सर्व प्रथम अमानती राशि का लिफाफा खोला जावेगा, निविदा अनुसार अमानती राशि पाये जाने पर प्राईजबीड खोली जावेगी। निविदा शर्तानुसार अमानती राशि नहीं पाये जाने पर प्राईजबीड नहीं खोला जावेगा एवं अमानती राशि जब्त किया जा सकेगा।
6. समस्त निविदाकार का प्रत्येक कार्य के लिये पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र प्राप्ति के लिये निर्धारित राशि जमा कर आवेदन करना होगा।
7. कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
8. किसी अप्रत्याषित कारण से निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को अवकाष घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि एवं समय आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ी मानी जावेगी।
9. ठेकेदारों एवं फार्मों के ठेकेदार जो दो या अधिक प्रतिष्ठानों में कोई व्यक्ति प्रोपराईटर या पार्टनर है तो एक कार्य के लिए एक निविदा प्रदाय की जावेगी।
10. जो निविदाकार एक से अधिक ग्रुप के गोदाम मरम्मत कार्य हेतु निविदा में हिस्सा लेता है तो उन्हें उन ग्रुप/ग्रुपों की अनुमानित लागत की कुल राशि के बराबर क्षमता की श्रेणी का पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन में उल्लेखित राशि से अधिक राशि की निविदा होने पर स्वीकृत नहीं की जावेगी।
11. निगम के प्रबंध संचालक को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदायें स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. जिन ठेकेदारों का निगम से किसी प्रकरण में विवाद हो, लिये गये कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, निगम द्वारा जिन्हें **(Black Listed)** काली सूची में डाला गया हो, उन्हें निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जायेगा। इस संबंध में पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।
13. सर्विस टेक्स जमा करने की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, निगम द्वारा सर्विस टेक्स से संबंधित कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन अभियंता